



विद्वान अभिभाषक अधीनान्त ने अधील बहस के दौरान अधील में वर्णित तथ्या को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पॉडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कायलकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा बाद के साथ धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनान्त को अर्थाई निषेधाज्ञा में पाबन्द कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप में जै अधील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जै अधील आदेश के अवलोकन मात्र से ही यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कहीत महेन्द्र कुमार के हित सुरक्षित करने हेतु स्थापित विधि के सिद्धान्तों के विपरित जाकर जै अधील आदेश पारित किया गया है। जब महेन्द्र कुमार प्रकरण में पक्षकार ही संयोजित

अधीनान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अधील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान कायलकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 208/2012 बअनवान अचलेश्वर बनाम सुशीला में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अधील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉडेन्ट्स को जयिये समान तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दिनांक:- 28.2.18

:- निर्णय :-

श्री सुरेश शाह, विद्वान अभिभाषक रेस्पॉडेन्ट  
श्री अधिवन परडीया, विद्वान अभिभाषक अधीनान्त

उपस्थित :-

अधीन अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान कायलकारी अधिनियम 1955

अधीनान्त	बनाम	रेस्पॉडेन्ट :-
सुशीला पुत्री उमाशंकर पत्नी	अचलेश्वर पुत्र खीमजी जाति ब्राह्मण	निवासी गोल तहसील सिरोही
किशोरकुमार निवेदी जाति ब्राह्मण	निवासी गोल तहसील सिरोही	

राजस्थान अधील : 7/2016

न्यायालय राजस्थान अधील प्राधिकारी, पंजी केंद्र सिरोही  
पीठाधीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

नहीं था, तो उसके हितों को संरक्षित करने हेतु किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता है। रेस्पॉन्डेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसके अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि उक्त वाद रेस्पॉन्डेंट ने अपने हितों की रक्षाार्थ किया है अथवा महेंद्र कुमार के हितों की रक्षाार्थ, जबकि वाद तो अधीलाट की सह खातेदात्री भूमि के तौर पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। कानूनन एक सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि के बेवान से नहीं रोका जा सकता है। रेस्पॉन्डेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष तथाकथित गोद ऊपी दरस्तावेज, सहमति पत्र व कथित इकरारनामा पर गौर कर गंभीर विधिक रूटी की है, क्योंकि उक्त दरस्तावेजों को अधीलाट ने अस्वीकार किया है एवं ये दरस्तावेज पर्याप्त मुद्रांक पर लिखित नहीं है तथा न ही पंजीकृत है। इस कारण साथ ही श्रुमार किये जाने योग्य नहीं है। स्वयं रेस्पॉन्डेंट ने अपने आवदन पत्र में लिखा है कि अधीलाट मुम्बई में निवास करती है, तो मौके पर झगडा करने के लक्ष्य मनगढन्त साबित होते है। इस कारण प्रथम दृष्टया मानता रेस्पॉन्डेंट के पक्ष में बनता ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में किया गया सम्पूर्ण विवेचन महेंद्र कुमार को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीलाट के टाईटल एवं आधिपत्य को बिना किसी आधार के अस्पष्ट माना है, जबकि ऐसा विवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय ही नहीं है। सम्पूर्ण प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीलाट को उसके खातेदात्री हिस्से से विक्रय करने से एवं उसे इच्छित व्यनन करने से वंचित करने के उद्देश्य से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करवावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करवावे।

विद्वान अभिमाषक रेस्पॉन्डेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय की सम्पत्ति थी। खीमजी के दो पुत्र थे, जो क्रमशः उमाशंकर एवं अवलंबकर है। उमाशंकर के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण उमाशंकर ने महेंद्र कुमार को गोद लिया था तथा बहीर गोदीपुत्र महेंद्र कुमार उमाशंकर की भूमि पर कथित कथित है। वादस्थ भूमि पर सुश्रीला का कोई कब्जा कायत नहीं है। नामान्तरकरण भी उसके महेंद्र कुमार के नाम पर दायर किया है, जिसमें सुश्रीला ने सहमति प्रदान की है तथा जो इकरारनामा निष्पादित किया, उसमें भी महेंद्र कुमार को गोदीपुत्र माना है। गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण उसे मान्यता प्रदान करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद विचारणीय है। सुश्रीला द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि में से कुछ हिस्से की भूमि को बेवान कर दिया, जिसके आधार पर केता, अन्य सह खातेदार के हिस्से की भूमि में कुछ अन्दर्जी करने पर आमादा हो रहे है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील शिकाया  
पुली केस विरुद्धि





बदस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिमाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का समामान अवलोकन किया। रेस्पॉडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काष्ठकरी अतिनियम के तहत वाद एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र विरुद्ध अपीलान्ट/अपार्षी के प्रस्तुत किया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जारिये अपीलान्ट/अपार्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जारिये वादस्थ भूमि को ताकसला भूल वाद के बेवान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। प्रकरण में उल्लेखनीय बिन्दु यह प्रकट होता है कि क्या महेंद्र कुमार, उमाशंकर का गोदी पुत्र है अथवा नहीं? इस तथ्य का निर्धारण प्रार्थना पत्र के जारिये नहीं किया जा सकता है एवं न ही उक्त तथ्य जैर अपील आदेश में रेखांकित योग्य था, क्योंकि वाद अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्ट के मध्य ही विचारधीन था, जिसमें महेंद्र कुमार पक्षकार नहीं है तथा एक अजनबी व्यक्ति को बिना वाद के अर्जोष देय नहीं है। प्रकरण में यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि उक्त महेंद्र कुमार द्वारा अपने हकों के निर्धारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है, जो विचारधीन है। इस कारण जैर अपील वादस्थ भूमि के

न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिमाषक अपीलान्ट ने बदस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पॉडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दावा किया है, वह विमानन का किया है, जिसमें मान सुशीला पक्षकार है, यदि महेंद्र कुमार का हिस्सा होता, तो उसे भी पक्षकार बनाते, जो नहीं बनाया गया। राजस्व रेकॉर्ड में अपीलान्ट खातेदार दर्ज है तथा एक खातेदार को अपने हिस्से की भूमि के बेवान से नहीं रोका जा सकता है। चूंकि महेंद्र कुमार को गोद ही नहीं लिया गया, तो उक्त भूमि उसकी पुरतैनी सम्पत्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करवावे। विद्वान अभिमाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बदस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 1997 पंज 30, आर0आर0टी0 1997 पंज 394, आर0आर0टी0 2003 पंज 310, डी0एन0जे0 (एस.सी.) 1997 पंज 6 में प्रतिपादित

अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद बाहुल्यता रोकने हेतु जैर महेंद्र के हिस्से का अर्जोष नहीं वाह रहा है, जबकि महेंद्र का पृथक से दावा सक्षम किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। रेस्पॉडेन्ट अपने दावे के जारिये द्वारा मौके पर रेस्पॉडेन्ट का कब्जा मानते हुए अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द के समक्ष तीन वाद विचारधीन है, जिसमें महेंद्र भी हिस्सेदार है। अधीनस्थ न्यायालय विमानन के पश्चात अपने हक हिस्से अनुसार भूमि का विक्रय करे। अधीनस्थ न्यायालय वाद प्रस्तुत कर विमानन का अर्जोष वाह, यदि अपीलान्ट को बेवान ही करना है, तो

टर्जेंटल के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद बाहुल्यता को रोकने की मंशा से जैर अपील आदेश के जरिये अपीलेंट को भूमि के विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है, किन्तु एक सह खातेदार के कर्त्यों से यदि किसी अन्य सह खातेदार के हित प्रभावित होते हैं, तो उसे पाबन्द किया जाना भी आवश्यक होता है, जिससे विवादों से बचा जा सके। यद्यपि एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है, किन्तु गोदानमा सम्बन्धी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के सम्बन्ध विचाराधीन है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अपीलेंट अपने हिस्से की भूमि की मालिक है, किन्तु यह भी प्रमाणिक तथ्य है कि अपीलेंट द्वारा वाद विचारण के दौरान ही भूमि का विक्रय किया जा रहा है, जिसके कारण भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन सम्भावित है, जिसके कारण अनावश्यक विवाद होगा एवं वाद बाहुल्यता होगी। इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलेंट को लाकैसला भूल वाद के वादस्थ भूमि का बेचान इस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक चुट्टी नहीं पाई जाती है।

न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.8.2018 को संदे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

हस्ताक्षर कर खूले न्यायालय में रूनाया गया।



कैम्प सिवैही  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
(डॉ० बजरगसिंह चौहान)